मुकदमों का विवरण

हार्विंदर सिंह @बाचू बनाम।

हिमाचल प्रदेश राज्य (2015 की आपराधिक अपील संख्या 266-267) 13 अक्टूबर, 2023

**[**एम**.** एम**.** सुंदरेश और जे**.** बी**.** पारदीवाला**,** जे**.** जे**.]** हेडनोट्स

विचार के लिए विषयःक्या उच्च न्यायालय को बरी करने और अपीलार्थी को हत्या और बलात्कार के प्रयास के लिए दोषी ठहराने के आदेश को दरकिनार करने में न्यायसंगत ठहराया गया था, केवल इसलिए कि वह विरोधाभासों के बावजूद अभियोजन पक्ष के गवाह की गवाही पर निर्भर था क्योंकि वह शिक्षित था और भगवान से डरने वाला व्यक्ति था।

दंड संहिता**, 1860-**एस**.** एस**.302, 376, 511, 454, 380** आर/डब्ल्यू एस।**34 –** हत्या और बलात्कार का प्रयास**-**उच्च न्यायालय ने निचली अदालत द्वारा बरी किए जाने के आदेश को दरकिनार करते हुए अपीलार्थी को हत्या और बलात्कार के प्रयास के लिए दोषी ठहराया**-**सच्चाईः

आयोजित किया गयाःनिचली अदालत ने अपने निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पर्याप्त कारण बताए-हालांकि, उच्च न्यायालय को निचली अदालत द्वारा दिए गए कई तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए मृतक की हत्या के लिए राजी किया गया-उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करने के बाद कि एक हत्या हुई थी, सूचना देने वाले के साक्ष्य पर आंख मूंदकर भरोसा किया और प्रतिष्ठा की अवधारणा का गलत अर्थ निकाला और उसके साक्ष्य पर आंख मूंदकर विश्वास किया-इसके अलावा, एक गवाह का बयान कि कोई पूर्व शत्रुता नहीं थी-इसके अलावा, अंकित रिपोर्ट की अनुपलब्धता और गवाहों की गैर-जांच, हालांकि गवाह उपलब्ध थे-अभियोजन पक्ष उचित संदेह से परे आरोपों को साबित करने में विफल रहा, इस प्रकार, अपीलकर्ता संदेह के लाभ के हकदार थे-अभियुक्त द्वारा पारित आदेश[पैरा 26,28-29,31]

साक्ष्य अधिनियम**, 1872 -**एस**. 3-**तथ्य**-**प्रतिष्ठा**,** तथ्यों का हिस्सा**-**प्रतिष्ठा और चरित्र के बीच जुड़ाव**-**व्यक्ति की प्रतिष्ठा का प्रमाणिक मूल्यः





आयोजित किया गयाःप्रतिष्ठा वास्तव में एक तथ्य है-प्रतिष्ठा को एक पहचान योग्य समूह के दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए, जबकि चरित्र वह है जो एक व्यक्ति वास्तव में है-चरित्र का निर्माण किया जाना चाहिए जबकि प्रतिष्ठा प्राप्त की जानी है-चरित्र किसी की प्रतिष्ठा का निर्माण कर सकता

है-चरित्र और प्रतिष्ठा में परस्पर जुड़ाव का एक तत्व होता है लेकिन दोनों अलग और अलग-अलग होते हैं-प्रतिष्ठा इस प्रकार आंतरिक तथ्यों का हिस्सा बनती है जो प्रेम, क्रोध, भय, घृणा और इरादे आदि जैसे विचारों और भावनाओं के माध्यम से उत्पन्न होती है और इस प्रकार, इसे उन व्यक्तियों की राय के रूप में साबित करने की आवश्यकता होती है जो इसे तदनुसार बनाते हैं-जब प्रतिष्ठा को एक प्रासंगिक तथ्य के रूप में लिया जाना है, तो इसका प्रमाणिक मूल्य प्रतिबंधात्मक और सीमित हो जाता है-यह वास्तव में सबूत का एक कमजोर टुकड़ा है जब संबंधित हो जाता है।[पैरा 16-18]

साक्ष्य-परिवेशीय साक्ष्य-इस पर भरोसाः

आयोजित किया गयाःउपलब्ध साक्ष्य को जोड़ने का अभ्यास करते समय सावधानी और सावधानी बरतनी चाहिए-अदालतों को इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि इस तरह के साक्ष्य से निश्चित रूप से प्रत्येक मामले के तथ्यों पर केवल आरोपी को ही इंगित किया जाना चाहिए।[पैरा 22]

साक्ष्य-दोहरा अनुमान-निर्दोषता का अनुमानः

आयोजित किया गयाःजब निचली अदालत का दृष्टिकोण, जिसे गवाहों के आचरण को देखने का लाभ मिला था, एक संभावित और प्रशंसनीय दोनों है, तो इसे एक और द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया जाएगा-अभियुक्त के पक्ष में निर्दोषता की धारणा निचली अदालत के निर्णय से मजबूत होती है जब उसे बरी करने का आदेश मिलता है।[पैरा 23]

गवाह-भौतिक गवाह-जाँच न करनाः

आयोजित किया गयाःकिसी गवाह से पूछताछ न करने से, यद्यपि वह सामग्री है, अपने आप में मुकदमे को दूषित नहीं करेगा-हालाँकि, जब तथ्य इतने स्पष्ट होते हैं और गवाह उपलब्ध होते हैं, विशेष रूप से जब वे एक अलग कहानी देने की संभावना रखते हैं, तो न्यायालय इस पर पर्याप्त ध्यान देगा-जब 1159

हरविंदर सिंह @बाचू बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य

बचाव पक्ष द्वारा एक परिस्थिति को न्यायालय के संज्ञान में लाया गया है और न्यायालय आश्वस्त है कि अभियोजन पक्ष के गवाह को जानबूझकर रोक दिया गया है, क्योंकि यह पूरी संभावना में इसके संस्करण को नष्ट कर देगा, उसे प्रतिकूल नोटिस लेना होगा-इसके विपरीत कुछ भी निष्पक्ष खेल की अवधारणा के लिए एक पूरक होगा।[पैरा 24]

साक्ष्य-फरार होने का प्रभावः

आयोजित किया गयाःबाद का आचरण एक प्रासंगिक तथ्य होगा।8 साक्ष्य अधिनियम के अनुसार-हालांकि, इस तरह के तथ्य को साबित करना होगा-किसी व्यक्ति को दोषी ठहराने के लिए केवल फरार होना ही एकमात्र कारक नहीं हो सकता है क्योंकि कोई आरोपी फरार हो सकता है क्योंकि उसे अवैध गिरफ्तारी का डर हो सकता है।[पैरा 25]

शहरों और अन्य संदर्भों की सूची

लाहू कमलाकर पाटिल और एक अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य (2013) 6 एससीसी 417: [2012] 9 एस. सी. आर. 1173; नरेंद्रसिंह केशुभाई जाला बनाम गुजरात राज्य 2023 (4) स्केल 478; राजेश यादव और एक अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2022) 12 एस. सी. सी. 200; शरद बर्धीचंद सारदा बनाम राज्य

महाराष्ट्र (1984) 4 एस. सी. सी. 116:[1985] 1 एस. सी. आर. 88; जाफरुद्दीन और

अन्य बनाम केरल राज्य (2022) 8 एस. सी. सी. 440; तखाजी हीराजी बनाम ठाकुर कुबरसिंग चमनसिंग (2001) 6 एस. सी. सी. 145; दुर्गा बर्मन रॉय बनाम राज्य

सिक्किम (2014) 13 एस. सी. सी. 35:[2014] 8 एस. सी. आर. 311-संदर्भित।आर. वी.हॉज (1838) 2 ल्यू 227-संदर्भित।

अन्य मामलों के विवरणों में आयातित आदेश और आवेदन शामिल हैं

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः2015 की आपराधिक अपील संख्या 266-267।

2007 की आपराधिक अपील संख्या 411 में शिमला में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के दिनांकित 27.06.2014 और 11.07.2014 के निर्णय और आदेश से।

रूपः

मंसूर अली, अपीलार्थी के अधिवक्ता।

ऋषि मल्होत्रा, जयदीप पाटिल, अधिवक्ता।उत्तरदाता के लिए।



सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

न्यायाधीश एम. एम. सुंदरेश, जे.

1. हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (पीठासीन अधिकारी), फास्ट ट्रैक कोर्ट, सोलन, हिमाचल प्रदेश द्वारा बरी किए जाने के आदेश को शून्य करके आजीवन कारावास के लिए दी गई दोषसिद्धि इन अपीलों में चुनौती के अधीन है।

संक्षिप्त तथ्य

2. अपीलार्थी पर, सह-अभियुक्त (मृतक होने के कारण) के साथ, भारतीय दंड संहिता, 1860 (इसके बाद आई. पी. सी. के रूप में संदर्भित) की धारा 34 के साथ पठित धारा 302,376,511,454,380 के तहत आरोप लगाया गया था।अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि पीडब्लू1 ने लगभग 3.15 बजे आईडी1 पर अपने गौशाला का दौरा करते समय मृतक के रोने की

आवाज सुनी, जिसमें उसने "मामा जी बचाओ" कहते हुए मदद मांगी।वह मृतक के घर गया और उसके पति (पीडब्लू5) का नाम पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला।इसके बाद, उन्होंने आरोपी की दबी हुई आवाज़ें सुनीं, जिनकी संख्या दो थी।फिर उन्होंने दोनों को मुख्य द्वार पर देखा।आरोपी नंबर 1 शराब की बदबू लेते हुए अपनी शर्ट पर खून के धब्बों के साथ पाया गया।आरोपी ने उसे गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी और उसे पकड़ने का प्रयास किया।आरोपी से खुद को बाहर निकालने के बाद वह अपने घर की ओर भागा।पीडब्लू1 ने एक व्यक्ति चंद्रवती को घटना के बारे में सूचित किया, जिसने बदले में उसे अपनी पत्नी के शामिल होने तक इंतजार करने की सलाह दी। इससे पहले मृतक की सास से पूछताछ की गई।3. पीडब्लू2 के आगमन के बाद, उनकी पत्नी, वह, उनके और चंद्रवती के साथ मृतक के घर गए।उन्होंने मृतक के दो बच्चों को घर पर देखा जो क्रमशः 5 वीं और 7 वीं कक्षा में पढ़ रहे थे।पूछताछ करने पर उन्होंने बताया कि उनकी मां सो रही थीं।पी. डब्ल्यू. 1 और पी. डब्ल्यू. 2 ने चंद्रवती के साथ कमरे में प्रवेश किया और मृतक को आधे नग्न खून से लथपथ देखा।पीडब्लू2 ने पुलिस स्टेशन को टेलीफोन पर जानकारी भेजी, जिसके बाद पीडब्लू1 के कहने पर शाम करीब साढ़े छह बजे पहली सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई।

4. मजिस्ट्रेट का कार्यालय पुलिस स्टेशन के बहुत करीब होने के बावजूद, लगभग 5 घंटे के बाद पहली सूचना रिपोर्ट भेजी गई।उसी दिन पूछताछ की गई थी।जाँच रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने वाले दो गवाहों में से 1161

हार्विंदर सिंह @बाचू बनाम।

हिमाचल प्रदेश राज्य [एम. एम. सुंदरेश, जे.] 1162

एक की जांच नहीं की गई है।यह पाया गया कि शराब की बोतलें बरामद होने के दौरान सोने के गहनों सहित कुछ सामान गायब थे।

5. हालांकि, फिंगर प्रिंट उठाए गए थे और विशेषज्ञ को भेजे गए थे, लेकिन कोई रिपोर्ट नहीं थी क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि पर्याप्त अंकों की उपलब्धता का कोई पर्याप्त संकेत नहीं था।

6. 14.05.2004 पर एक आरोप पत्र दायर किया गया था, जिसमें मुख्य रूप से PW1 के बयान पर भरोसा किया गया था, जो संयोग से एक साक्षर और संभवतः भगवान से डरने वाले व्यक्ति थे।मृतक के बच्चों ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (इसके बाद "सीआरपीसी" के रूप में संदर्भित) की धारा 161 के तहत अपना बयान दिया, लेकिन कई अन्य गवाहों के साथ, हालांकि, घटना को नहीं देखा, उनकी जांच नहीं की गई है।

7. दोनों आरोपी फरार पाए गए और दिलचस्प बात यह है कि उन्हें उसी दिन और उसी समय- 16.01.2006 पर गिरफ्तार किया गया है, जब उन्हें 10.09.2003 पर घोषित किया गया था।तिब्बत की एक महिला पीडब्लू 6, जिसके साथ उन्हें कथित रूप से गिरवी रखा गया था, की हिरासत से सोने के गहनों सहित चोरी की गई वस्तुओं की बरामदगी की गई थी, हालांकि अभियोजन पक्ष इस बारे में बहुत स्पष्ट नहीं था कि उन्हें बेचा गया था या गिरवी रखा गया था।8. आई. डी. 1 पर एक पूरक आरोप-पत्र दाखिल किया गया था, जिसमें पहले के आरोप-पत्र को थोड़ा संशोधित किया गया

था, जिसमें बताया गया था कि आरोपी ने पिछली दुश्मनी के कारण मृतक और उसके पति पी. डब्ल्यू. 5 के घर को तोड़ दिया था और जब उसने घर में प्रवेश किया, तो उसके साथ बलात्कार किया गया और उसकी हत्या कर दी गई।हत्या तब हुई जब वह बलात्कार का विरोध कर रही थी और घटना स्थल से बरामद तलवार से आरोपी पर हमला करने की कोशिश कर रही थी, जिसका वास्तव में उनके द्वारा उपयोग किया गया था।

9. निचली अदालत के समक्ष, अभियोजन पक्ष ने 16 गवाहों से पूछताछ की है, जबकि मृतक के नाबालिग बच्चों द्वारा दिए गए सीआरपीसी की धारा 161 के तहत दर्ज किए गए बयानों, प्रदर्शनी डी1 और डी2 के आधार पर अभियुक्त की ओर से एक पुलिस अधिकारी से पूछताछ की गई है, ताकि अभियोजन पक्ष के मामले में विरोधाभास को स्पष्ट किया जा सके।

10. पी. डब्ल्यू. 1, जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, सूचना देने वाला है और पी. डब्ल्यू. 2 उसकी पत्नी है।पीडब्लू3 मृतक के घर से की गई बरामदगी का गवाह है।पीडब्लू 5 मृतक का पति है और पीडब्लू 6 तिब्बत की महिला है जिसे गहने गिरवी रखे गए थे।पीडब्लू9 वह डॉक्टर है जिसने पोस्टमॉर्टम किया।इस गवाह ने गवाही दी थी कि बलात्कार का कोई सबूत नहीं था।पीडब्लू16 और पीडब्लू13



जाँच अधिकारी हैं जिन्होंने क्रमशः प्रारंभिक और पूरक आरोप पत्रों का नेतृत्व किया।

11. निचली अदालत ने अपने समक्ष रखे गए साक्ष्य की पूरी और गहन जांच के बाद बरी करने का आदेश दिया।इसने उनके अप्राकृतिक आचरण के कारण पीडब्लू1 की गवाही पर विश्वास नहीं किया। इस गवाह ने आरोपी के जाने के बाद भी प्रतिक्रिया नहीं देने और आगे की कार्रवाई करने का फैसला किया था।इसने सीआरपीसी की धारा 161 के तहत बच्चों द्वारा दिए गए बयान को ध्यान में रखा कि इस गवाह ने बच्चों को सलाह दी कि वे अपनी मां को पुलिस में शिकायत करने के लिए कहें, हालांकि वह मृत पाई गई थी।मृतक के घर के बगल में कई घर थे।यह ज्ञात नहीं था कि पीडब्लू1 मृत्यु के तरीके के बारे में निष्कर्ष पर कैसे आ सकता है, अगर उसके बयान के अनुसार, उसने वास्तव में घटना को नहीं देखा था।

12. अदालत ने आगे पाया कि इस बात का कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि क्यों न जांच रिपोर्ट को रिकॉर्ड में नहीं रखा गया है।मृतक के बच्चों, उसकी सास और उसकी पड़ोसी चंद्रवती से भौतिक गवाह होने के बावजूद पूछताछ नहीं की गई है।पीडब्लू 6 के बयान पर ध्यान देते हुए, निचली अदालत ने कहा कि तथाकथित वसूली अत्यधिक संदिग्ध है क्योंकि उसने कहा है कि गहने गिरवी रखे गए हैं, लेकिन बेचे नहीं गए हैं।13. उच्च न्यायालय ने विवादित आदेश में पी. डब्ल्यू. 1 के साक्ष्य पर काफी हद तक भरोसा रखते हुए निचली अदालत द्वारा दिए गए बरी करने के फैसले को दरकिनार कर दिया।इसने अभिनिर्धारित किया कि पीडब्लू1 का साक्ष्य पीडब्लू5 और अभियुक्त के बीच पूर्व शत्रुता का संकेत देगा।पीडब्लू9 ने स्पष्ट रूप से कहा है कि मृत्यु हत्या थी।घटना स्थल से

पी. डब्ल्यू. 3 के साक्ष्य से तलवार और चाकू की बरामदगी साबित हुई है।पीडब्लू1 एक स्वाभाविक, शिक्षित और ईश्वर से डरने वाले व्यक्ति होने के नाते, उनकी गवाही को स्वीकार करना होगा। पीडब्लू2 का प्रमाण भी पीडब्लू1 के अनुरूप है।पीडब्लू5 ने यह भी बयान दिया है कि उसे पीडब्लू1 द्वारा सूचित किया गया था कि आरोपी को पहाड़ी की ओर भागते देखा गया था।यह तथ्य कि अभियुक्तों को भगोड़ा घोषित किया गया था, अभियोजन पक्ष के मामले में सार जोड़ देगा।भौतिक गवाहों से पूछताछ न होने और अंकित रिपोर्ट की अनुपलब्धता अभियोजन पक्ष के बयान को संदिग्ध नहीं बनाएगी।हालांकि, यह माना गया कि बलात्कार और चोरी से संबंधित अपराध उचित संदेह से परे साबित नहीं हुए हैं।तदनुसार, अपीलार्थी को 1163 के प्रयास के लिए आगे की सजा के साथ हत्या करने का दोषी ठहराया गया था।

हार्विंदर सिंह @बाचू बनाम।

हिमाचल प्रदेश राज्य [एम. एम. सुंदरेश, जे.]

बलात्कार करना।संयोग से, आई. पी. सी. की धारा 454 के तहत घर तोड़ने के लिए भी दोषी ठहराया गया था।

अपील की प्रस्तुतियाँ

14. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने एक प्राथमिक तर्क दिया कि उच्च न्यायालय ने एक तथ्यात्मक विश्लेषण पर निचली अदालत द्वारा निकाले गए निष्कर्ष को विशेष रूप से इंगित किए बिना इसे उलटने का विकल्प चुना है।विरोधाभासों के अस्तित्व के बावजूद, पी. डब्ल्यू. 1 के साक्ष्य पर बनाया गया भरोसा नहीं किया जाना चाहिए था।सवाल यह नहीं है कि हत्या हुई या नहीं, बल्कि यह है कि इसे किसने किया।अभियोजन पक्ष की ओर से चूक मामले की जड़ तक जाएगी, विशेष रूप से जब कोई स्पष्टीकरण सामने नहीं आ रहा था।अभियोजन पक्ष के बयान की वसूली से सहमत नहीं होने के कारण, उच्च न्यायालय को पीडब्लू1 की संदिग्ध गवाही पर भरोसा नहीं करना चाहिए था।

उत्तरदाता की प्रस्तुतियाँ

15. की गई दलीलों को दरकिनार करते हुए, राज्य की ओर से पेश विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्य की पुनः सराहना करने के लिए तैयार है, जो वास्तव में किया गया था।पी. डब्ल्यू. 1 की ओर से अपीलार्थी को उद्देश्य से फंसाने के किसी भी उद्देश्य के अभाव में, उच्च न्यायालय ने मामूली विरोधाभासों को सही ढंग से नजरअंदाज कर दिया।अभियुक्त और पीडब्लू5 के बीच पूर्व शत्रुता का अस्तित्व पाए जाने के बाद, तदनुसार एक दोषसिद्धि प्रदान की गई।केवल यह तथ्य कि अपीलार्थी को बलात्कार के प्रयास के लिए दोषी ठहराते हुए बलात्कार के लिए बरी कर दिया गया था, अपने आप में यह मानने के लिए एक गवाही है कि उच्च न्यायालय द्वारा दिमाग का उपयोग किया गया था।चूंकि प्रासंगिक सामग्रियों पर ध्यान दिया गया है, इसलिए दोषसिद्धि के क्रम को स्वीकार करने की आवश्यकता है।

प्रतिनियुक्ति एक तथ्य है

भारतीय साक्ष्य अधिनियम **1872** की धारा **3**

“3. व्याख्या खंड।—इस अधिनियम में निम्नलिखित शब्दों और अभिव्यक्तियों का उपयोग निम्नलिखित अर्थों में किया गया है, जब तक कि संदर्भ से कोई विपरीत इरादा प्रकट न हो।—

XXX XXX

XXX

**“**तथ्य "।—**“**तथ्य का अर्थ है और इसमें शामिल हैं**-1164**



(1) कोई भी चीज, चीजों की स्थिति, या चीजों का संबंध, जो इंद्रियों द्वारा महसूस किया जा सकता है;

(2) कोई भी मानसिक स्थिति जिसके बारे में कोई भी व्यक्ति सचेत हो।

दृष्टांत

( क) यह एक तथ्य है कि कुछ वस्तुएँ एक निश्चित स्थान पर एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित हैं।

( ख) यह एक तथ्य है कि एक व्यक्ति ने कुछ सुना या देखा है।( ग) कि एक आदमी ने कुछ शब्द कहे, यह एक तथ्य है।

( घ) कि एक व्यक्ति एक निश्चित राय रखता है, एक निश्चित इरादा रखता है, सद्भावना से या धोखाधड़ी से कार्य करता है, या किसी विशेष अर्थ में किसी विशेष शब्द का उपयोग करता है, या किसी विशेष अनुभूति के प्रति सचेत है या था, यह एक तथ्य है।

**(ई)** यह एक तथ्य है कि एक व्यक्ति की एक निश्चित प्रतिष्ठा होती है।**”**

XXX

XXX

XXX

(जोर दिया गया) 16।प्रतिष्ठा वास्तव में भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (इसके बाद "साक्ष्य अधिनियम" के रूप में संदर्भित) की धारा 3 के तहत एक तथ्य है।तथ्यों को मोटे तौर पर बाहरी और आंतरिक तथ्यों में विभाजित किया जा सकता है।बाहरी तथ्य वे हैं जिन्हें भौतिक इंद्रियों द्वारा महसूस किया जा सकता है जबकि आंतरिक तथ्य विचारों और भावनाओं जैसे प्रेम, क्रोध, भय, घृणा और इरादे आदि के माध्यम से उत्पन्न होते हैं। एक प्रतिष्ठा को एक पहचान योग्य समूह के दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए, जबकि चरित्र वह है जो एक व्यक्ति वास्तव में है।चरित्र का निर्माण

किया जाना है जबकि प्रतिष्ठा अर्जित की जानी है।चरित्र किसी की प्रतिष्ठा का निर्माण कर सकता है लेकिन दोनों अलग और अलग हैं।इस प्रकार प्रतिष्ठा आंतरिक तथ्यों का हिस्सा है और इसलिए इसे उन व्यक्तियों की राय के रूप में साबित करने की आवश्यकता है जो इसे तदनुसार बनाते हैं।जब प्रतिष्ठा को एक प्रासंगिक तथ्य के रूप में लिया जाना है, तो इसका साक्ष्य मूल्य प्रतिबंधात्मक और सीमित हो जाता है।यह वास्तव में सबूत का एक कमजोर टुकड़ा है जब किसी मुद्दे में तथ्य से संबंधित हो जाता है।

17. कानून की अदालत किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को केवल अपनी राय के आधार पर घोषित नहीं कर सकती है क्योंकि कोई व्यक्ति शिक्षित है और उसे ईश्वर से डरने वाला कहा जाता है, जो अपने आप में एक सकारात्मक प्रतिष्ठा पैदा नहीं करेगा।

हार्विंदर सिंह @बाचू बनाम।

1165

हिमाचल प्रदेश राज्य [एम. एम. सुंदरेश, जे.] 1166

18. चरित्र और प्रतिष्ठा में परस्पर जुड़ाव का एक तत्व होता है।प्रतिष्ठा चरित्र के सामान्य लक्षणों पर आधारित होती है।दूसरे शब्दों में, चरित्र को प्रतिष्ठा में समाहित किया जा सकता है।अदालतों से किसी व्यक्ति की केवल पृष्ठभूमि से प्रभावित होने की उम्मीद नहीं की जाती है, विशेष रूप से जब वे एक अपीलीय मंच के रूप में कार्य करते हैं, जब उनका आचरण, एक प्रासंगिक तथ्य होने के नाते, गंभीर संदेह पैदा करता है।दूसरे शब्दों में, साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 के तहत एक गवाह का आचरण, एक गवाह की प्रतिष्ठा तय करने, निर्धारित करने और साबित करने के लिए एक प्रासंगिक तथ्य है।जब आचरण इंगित करता है कि यह सामान्य मानव व्यवहार के दृष्टिकोण से अप्राकृतिक है, तो तथाकथित प्रतिष्ठा पीछे रह जाती है।

**19.** हम लाहू में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा करना चाहते हैं।

कमलाकर पाटिल और एक अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य**, (2013) 6** एससीसी **417,**

**“26.** उपरोक्त घोषणाओं से यह स्पष्ट है कि कुछ अपराधों के गवाह घटनास्थल से भाग सकते हैं और डर के कारण जगह भी छोड़ सकते हैं और यदि उनकी जांच में कोई देरी होती है**,** तो गवाही को खारिज नहीं किया जाना चाहिए।इसके अलावा**,** एक अदालत ने

यह ध्यान में रखने के लिए कि अलग-अलग गवाह अलग-अलग स्थितियों में अलग-अलग प्रतिक्रिया देते हैं।कुछ गवाहों को झटका लगता है**,** कुछ हैरान हो जाते हैं**,** कुछ रोने लगते हैं और कुछ घटनास्थल से भाग जाते हैं और फिर भी साहस और दृढ़ विश्वास रखने वाले कुछ लोग या तो प्राथमिकी दर्ज करने या तुरंत खुद से पूछताछ करने के लिए आगे आते हैं।इस प्रकार**,** यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होता है।मानवीय प्रतिक्रिया में एकरूपता नहीं हो सकती।जबकि उक्त सिद्धांत को ध्यान में रखा जाना चाहिए**,** यह भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि यदि गवाह का आचरण इतना अप्राकृतिक है और परिवर्तन की अनुमति देने वाले स्वीकार्य

मानव व्यवहार के अनुरूप नहीं है, तो उसकी गवाही संदिग्ध हो जाती है और इसके खारिज होने की संभावना है।

27. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हम पीडब्लू 2 के साक्ष्य की जांच करने के लिए आगे बढ़ेंगे। जैसा कि उसके बयान से स्पष्ट है, हमले को देखकर वह डर गया, होटल से भाग गया और सुबह तक पाइप के पीछे छिप गया।वह घर गया, अपने कपड़े बदले और पुणे भाग गया।चूंकि मामले की सुनवाई अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, रायगढ़, अलीबाग द्वारा की गई है, ऐसा लगता है कि यह घटना अलीबाग, रायगढ़ में हुई थी, जो पुणे से लगभग 300 किलोमीटर दूर है।].उन्होंने किया।



अपने परिवार के सदस्यों को घटना के बारे में नहीं बताया।वह पुणे के लिए रवाना हो गए और इसका कारण भी उनके परिवार के सदस्यों को नहीं बताया गया।उन्होंने अपने आवास से पुलिस से संपर्क करने की कोशिश नहीं की जो वह कर सकते थे।पुणे पहुंचने के बाद उन्होंने अपनी साली के घर में हुई घटना का उल्लेख नहीं किया।घटना के तीसरे दिन पुणे से वापस आने के बाद, उनकी पत्नी ने उन्हें सूचित किया कि पुलिस आ गई है और उनके साथ आए भाऊ की मौत हो गई है।यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि संहिता की धारा 161 के तहत बयान में पीडब्लू 2 ने यह नहीं कहा था कि वह डर से खुद को छिपा रहा था या वह पुलिस से डर गया था।उक्त बयान में, इस तथ्य का भी उल्लेख नहीं किया गया था कि उन्हें उनकी पत्नी ने सूचित किया था कि भाऊ की मृत्यु हो गई है। उसकी गवाही से एक बात साफ है कि घटना को देखकर वह डर गया और होटल से भाग गया।वह डर गया और रात भर पाइप के पीछे छिप गया और अगली सुबह घर के लिए रवाना हो गया।लेकिन अपनी पत्नी या परिवार के किसी सदस्य को सूचित नहीं करने और पुणे के लिए रवाना होने और वहां किसी को नहीं बताने का उनका आचरण सामान्य मानवीय व्यवहार की अवहेलना करता है। उसने कहीं यह भी नहीं कहा है कि वह इतना डर गया था कि घर पहुंचने के बाद भी वह पुलिस स्टेशन नहीं गया जो उसके घर से शायद ही कोई दूरी पर था।उसकी गवाही में ऐसा कुछ भी नहीं है कि जब वह अपने घर पहुंचा तो वह किसी भी तरह के डर या सदमे में था।यह भी आश्चर्य की बात है कि उसने अपने परिवार के सदस्यों को नहीं बताया था और वह बिना कारण बताए पुणे चला गया और जब वह पुणे से आया और अपनी पत्नी द्वारा सूचित किया गया कि उसके साथी भाऊ की मृत्यु हो गई है, तो वह पुलिस स्टेशन गया।हम इस तथ्य से अनजान नहीं हैं कि कुछ परिस्थितियों में कुछ गवाह डर सकते हैं और अलग तरीके से व्यवहार कर सकते हैं और इसके कारण, वे खुद को पुलिस के सामने देर से उपलब्ध करा सकते हैं और उनकी जांच में देरी हो सकती है।लेकिन इस मामले में, रिकॉर्ड में लाए गए साक्ष्य और विशेष रूप से, पुणे भागने के लिए किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण का उल्लेख न करने के संबंध में, उक्त कारक उनके कथन की सत्यता को संदिग्ध बनाते हैं।उसके साक्ष्य को इतना विश्वसनीय और निर्दोष नहीं माना जा सकता है कि उसके खिलाफ दोषसिद्धि दर्ज की जा सके।

याचिकाकर्ताओं।विद्वत विचारण न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालय ने संबंध जोड़ने और भय, व्यवहार पैटर्न, **1167** पर लगी चोटों का मिलान जैसे सिद्धांतों को शामिल करने का प्रयास किया है।

हार्विंदर सिंह @बाचू बनाम।



मृतक को पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के साथ और अपीलार्थियों को दोषी ठहराया।अपीलार्थी को अपराध से जोड़ने के लिए किसी भी प्रकार के ठोस साक्ष्य के अभाव में, हम यह सोचने के लिए तैयार हैं कि दोषसिद्धि को बनाए रखना उचित नहीं होगा।"

(जोर दिया गया)

20. नरेंद्रसिंह केशुभाई जाला बनाम गुजरात राज्य, 2023 (4) स्केल 478 में,

**"8.** यह कानून का एक स्थापित सिद्धांत है कि संदेह सबूत की जगह नहीं ले सकता है।संदेह, चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों न हो, आपराधिक न्यायशास्त्र में सबूत का विकल्प नहीं है **[**जग्गा सिंह बनाम पंजाब राज्य, **1994** सप्लीमेंट **(3)** एससीसी **463]**।केवल ऐसा साक्ष्य ही स्वीकार्य और स्वीकार्य है जो कानून के अनुसार अनुज्ञेय है।एकमात्र चश्मदीद गवाह के मामले में, गवाह को विश्वसनीय, भरोसेमंद होना चाहिए, उसकी गवाही विश्वास के योग्य होनी चाहिए और मामला उचित संदेह से परे साबित होना चाहिए।अप्राकृतिक आचरण और अस्पष्ट परिस्थितियाँ गवाह पर अविश्वास करने का आधार हो सकती हैं।अनिल के मामले में यह अदालत

फुकान बनाम असम राज्य, (1993) 3 एस. सी. सी. 282 ने अभिनिर्धारित किया है किः

"3. … जब तक एकल प्रत्यक्षदर्शी पूरी तरह से विश्वसनीय गवाह है, अदालतों को केवल उसकी गवाही के आधार पर दोषसिद्धि करने में कोई कठिनाई नहीं है।हालांकि, जहां एकल चश्मदीद गवाह पूरी तरह से विश्वसनीय गवाह नहीं पाया जाता है, इस अर्थ में कि कुछ परिस्थितियां हैं जो दिखा सकती हैं कि अभियोजन पक्ष में उसकी रुचि हो सकती है, तो अदालतें आम तौर पर दोषसिद्धि दर्ज करने से पहले उसकी गवाही की कुछ स्वतंत्र पुष्टि करने पर जोर देती हैं।यह केवल तभी होता है जब अदालतें यह मानती हैं कि एकल चश्मदीद गवाह पूरी तरह से अविश्वसनीय गवाह है कि उसकी गवाही को पूरी तरह से खारिज कर दिया जाता है और कोई भी पुष्टि उस दोष को ठीक नहीं कर सकती है।

(जोर दिया गया) 21.साक्ष्य के मूल्यांकन के मुद्दे पर, हम निर्भरता रखना चाहते हैं

राजेश यादव और एक अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (2022) 12 एस. सी. सी. 200 में इस न्यायालय के निर्णय पर,

**“13.** "सिद्ध" शब्द की परिभाषा हालांकि केवल एक व्याख्या का आभास देती है**,** वास्तव में**,** हृदय और आत्मा है।

पूरे अधिनियम से। यह खंड सचेत रूप से "उसके सामने के मामलों" पर विचार करके एक तथ्य को साबित करने की बात करता है।न्यायालय के समक्ष मामलों पर विचार के माध्यम से किसी तथ्य को साबित करने में संभावना की मात्रा का महत्व है।एक अदालत के लिए जो समझने की आवश्यकता होती है वह है एक तथ्य का अस्तित्व और एक तार्किक प्रवाह के माध्यम से संभावना की एक डिग्री द्वारा इसका प्रमाण।

14. एक तथ्य को साबित करने के लिए मामले आवश्यक, सहवर्ती भौतिक कारक हैं।सभी साक्ष्य "मामले" होंगे लेकिन इसके विपरीत नहीं।दूसरे शब्दों में, मामलों को एक जीनस के रूप में कहा जा सकता है जिसका प्रमाण एक प्रजाति होगी।मामले सच्चाई को समझने में अदालत के प्रवास में पर्याप्त गोला-बारूद देने वाले साक्ष्य को भी ताकत देते हैं।इस प्रकार, "मामलों" की परिभाषा संपूर्ण है, और इसलिए, "साक्ष्य" की तुलना में बहुत व्यापक है।हालांकि, एक चेतावनी है, क्योंकि अदालत को ऐसे मामले पर विचार नहीं करना चाहिए जो कानून में वर्जित होने पर सबूत का रूप प्राप्त कर लेता है। अदालत के लिए किसी तथ्य के अस्तित्व में विश्वास करने के लिए मामलों की आवश्यकता होती है।

15. मामले किसी तथ्य के अस्तित्व को तय करने में अदालत को अधिक विवेक और व्यवहार्यता देते हैं।इनमें साक्ष्य के सभी वर्गीकरण जैसे परिस्थितिजन्य साक्ष्य, पुष्टिकारक साक्ष्य, व्युत्पन्न साक्ष्य, प्रत्यक्ष साक्ष्य, दस्तावेजी साक्ष्य, सुनी-सुनाई गवाही, अप्रत्यक्ष साक्ष्य, मौखिक साक्ष्य, मूल साक्ष्य, अनुमानित साक्ष्य, प्राथमिक साक्ष्य, वास्तविक साक्ष्य, द्वितीयक साक्ष्य, मूल साक्ष्य, प्रशंसात्मक साक्ष्य आदि शामिल हैं।

16. इसके अलावा, वे संभावना की डिग्री को बढ़ाकर एक तथ्य के अस्तित्व को साबित करने में साक्ष्य का पूरक हैं।जैसा कि "पदार्थ" शब्द की एक विस्तृत व्याख्या दी जानी चाहिए, और उस उद्देश्य के लिए, "अर्थ और शामिल" शब्दों की अभिव्यक्ति की अवज्ञा, जिसका अर्थ साक्ष्य के लिए लागू किया जाना है, को एक "पदार्थ" के रूप में भी आयात किया जाना चाहिए।इस प्रकार, किसी मामले में ऐसे मामले शामिल हो सकते हैं जो किसी स्पष्ट प्रतिबंध के अभाव में धारा 3 की अवज्ञा के दायरे में नहीं आते हैं।

**17.** न्यायालय के लिए जो महत्वपूर्ण है वह है किसी तथ्य के अस्तित्व के आधार पर उसके समक्ष मामलों का संभाव्यता के स्तर पर विश्लेषण करके निष्कर्ष निकालना।पूरा अधिनियम अदालत को किसी तथ्य को साबित करने में उचित निष्कर्ष पर पहुंचने में सुविधा प्रदान करने के लिए है।

हार्विंदर सिंह @बाचू बनाम।

दो तरीके हैं जिनके द्वारा अदालत से इस तरह के निर्णय पर आने की उम्मीद की जाती है। न्यायालय केवल अपने समक्ष के मामलों पर विचार करके, यह राय बनाते हुए कि यह मौजूद है, किसी तथ्य के अस्तित्व पर निष्कर्ष पर आ सकता है।न्यायालय का यह विश्वास उसके समक्ष मामलों के मूल्यांकन पर आधारित है।वैकल्पिक रूप से, न्यायालय उक्त अस्तित्व को एक विवेकपूर्ण व्यक्ति के दृष्टिकोण से संभावित मान सकता है जो इस धारणा पर कार्य कर सकता है कि यह मौजूद है।विकल्पों के चयन के बारे में सवाल अदालत पर फैसला करने के लिए छोड़ दिया जाता है।उक्त निर्णय उसके समक्ष मामलों की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकता है।

**18.** अधिनियम के तहत "विवेकपूर्ण" शब्द की अवहेलना नहीं की गई है। जब न्यायालय स्वयं किसी तथ्य के अस्तित्व पर विश्वास करने के बजाय अवज्ञा खंड के दूसरे भाग पर विचार करना चाहता है, तो उससे एक विवेकपूर्ण व्यक्ति की भूमिका निभाने की अपेक्षा की जाती है।ऐसे विवेकशील व्यक्ति को आम आदमी के दृष्टिकोण से समझना होगा।इसलिए, एक न्यायाधीश को एक विवेकपूर्ण व्यक्ति में बदलना पड़ता है और न्यायाधीश के बजाय उस चश्मे के माध्यम से मामलों पर विचार करने के बाद एक तथ्य के अस्तित्व का आकलन करना होता है।उक्त कवायद शुरू करने के बाद ही वह मामले में आगे बढ़ने के लिए न्यायाधीश के रूप में अपनी भूमिका फिर से शुरू कर सकते हैं।

**19.** उपरोक्त प्रावधान यह भी इंगित करता है कि न्यायालय पूरी गवाही के विपरीत, मुद्दे और प्रासंगिक दोनों में एक तथ्य के अस्तित्व से संबंधित है।इस प्रकार, एकाग्रता उस तथ्य के प्रमाण पर होती है जिसके लिए एक गवाह की आवश्यकता होती है।इसलिए, एक अदालत किसी विशेष मुद्दे पर एक गवाह की गवाही की सराहना और स्वीकार कर सकती है, जबकि इसे दूसरों पर अस्वीकार कर सकती है क्योंकि यह साबित किए जाने वाले तथ्य के मुद्दे पर केंद्रित है।हालाँकि, हम जल्दबाजी में यह जोड़ सकते हैं कि एक गवाह का साक्ष्य समग्र रूप से अदालत के लिए एक तथ्य को साबित करने की संभावना पर निर्णय लेने का मामला है जिसमें गवाह की विश्वसनीयता शामिल है।कोई मुद्दा समाप्त होता है या नहीं, यह भी अदालत के अधिकार क्षेत्र में आता है।

सबूतों की सराहना

**20.** हम पहले ही साक्ष्य के विभिन्न वर्गीकरण का संकेत दे चुके हैं।उपरोक्त साक्ष्य के साथ-साथ उससे जुड़े मामलों की सराहना करते हुए, साक्ष्य को मोटे तौर पर तीन श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, अर्थात् **(i)** पूरी तरह से विश्वसनीय, **(ii)** पूरी तरह से अविश्वसनीय, और **(iii)**

न तो पूरी तरह से विश्वसनीय और न ही पूरी तरह से अविश्वसनीय।यदि साक्ष्य, उसके आसपास के मामलों के साथ, अदालत को यह विश्वास दिलाता है कि यह पूरी तरह से एक विश्वसनीय मुद्दा है, तो यह संभावना की डिग्री पर अपने अस्तित्व का फैसला कर सकता है।

ऐसा ही मामला है जहाँ सबूत विश्वसनीय नहीं हैं।जब प्रस्तुत साक्ष्य न तो पूरी तरह से विश्वसनीय होता है और न ही पूरी तरह से अविश्वसनीय होता है, तो इसकी पुष्टि की आवश्यकता हो सकती है, और ऐसे मामले में, अदालत अन्य मामलों में उपलब्ध विरोधाभासों पर भी ध्यान दे सकती है।

**21.** कानून के उपरोक्त सिद्धांत को प्रसिद्ध में प्रतिपादित किया गया है

वादिवेलु थेवर बनाम मद्रास राज्य (1957) में इस न्यायालय का निर्णय

एससीआर 981:ए. आई. आर 1957 एस. सी. 614]:(एयर पी।619, पैरा 11-12) "11. इन विचारों को ध्यान में रखते हुए, हमें यह मानने में कोई संकोच नहीं है कि यह तर्क कि एक हत्या के मामले में, अदालत को गवाहों की बहुलता पर जोर देना चाहिए, बहुत व्यापक रूप से कहा गया है।भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 134 ने स्पष्ट रूप से यह निर्धारित किया है कि 'किसी भी मामले में, किसी भी तथ्य के प्रमाण के लिए गवाहों की किसी विशेष संख्या की आवश्यकता नहीं होगी'। विधायिका ने बहुत पहले 1872 में, संभवतः पक्ष और विपक्ष पर उचित विचार करने के बाद, यह निर्धारित किया था कि किसी तथ्य के प्रमाण या खंडन के लिए किसी विशेष संख्या में गवाहों को बुलाना आवश्यक नहीं होगा।इंग्लैंड में, साक्ष्य अधिनियम, 1872 के पारित होने से पहले और बाद में, सरकार के साक्ष्य कानून-9 वें संस्करण, पृष्ठ 1100 और 1101 में निर्धारित किए गए कई कानून हैं, जो एक ही गवाह की गवाही पर दोषसिद्धि को प्रतिबंधित करते हैं।भारतीय विधानमंडल ने ऊपर उद्धृत धारा 134 में मान्यता प्राप्त सामान्य नियम के लिए ऐसे किसी भी अपवाद को निर्धारित करने पर जोर नहीं दिया है।इस खंड में एक अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त कहावत है कि "साक्ष्य को तौला जाना चाहिए और गिना नहीं जाना चाहिए"।हमारे विधानमंडल ने इस तथ्य को वैधानिक मान्यता दी है कि यदि एक विशेष संख्या में गवाहों पर जोर दिया जाता है तो न्याय के प्रशासन में बाधा आ सकती है।ऐसा शायद ही कभी होता है कि केवल एक गवाह की उपस्थिति में कोई अपराध किया गया हो, उन मामलों को छोड़कर जो असामान्य घटना के नहीं हैं, जहां अपराध का निर्धारण पूरी तरह से परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर निर्भर करता है।यदि विधानमंडल गवाहों की बहुलता पर जोर देता है, तो ऐसे मामले जहां अपराध के प्रमाण में केवल एक गवाह की गवाही उपलब्ध हो सकती है, 1171

हार्विंदर सिंह @बाचू बनाम।

हिमाचल प्रदेश राज्य [एम. एम. सुंदरेश, जे.] 1172

दंडित नहीं किया जाएगा।यहीं पर पीठासीन न्यायाधीश का विवेकाधिकार लागू होता है।इस प्रकार मामला प्रत्येक मामले की परिस्थितियों और एकल गवाह के साक्ष्य की गुणवत्ता पर निर्भर होना चाहिए जिसकी गवाही को या तो स्वीकार किया जाना है या अस्वीकार किया जाना है।यदि अदालत द्वारा ऐसी गवाही पूरी तरह से विश्वसनीय पाई जाती है, तो ऐसे सबूत पर आरोपी व्यक्ति को दोषी ठहराने में कोई कानूनी बाधा नहीं है।जिस प्रकार एक अभियुक्त व्यक्ति का अपराध एक गवाह की गवाही से साबित किया जा सकता है, उसी प्रकार एक अभियुक्त व्यक्ति की बेगुनाही एक गवाह

की गवाही से स्थापित की जा सकती है, भले ही अभियोजन पक्ष के लिए मामले की सच्चाई की गवाही देने के लिए काफी संख्या में गवाह सामने आ सकते हैं।इसलिए, हमारी राय में, यह कानून का एक ठोस और अच्छी तरह से स्थापित नियम है कि अदालत का संबंध गुणवत्ता से है न कि किसी तथ्य को साबित करने या गलत साबित करने के लिए आवश्यक साक्ष्य की मात्रा से।आम तौर पर, इस संदर्भ में मौखिक गवाही को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है, अर्थात्ः(1) पूरी तरह से विश्वसनीय।

(2) पूरी तरह से अविश्वसनीय।

(3) न तो पूरी तरह से विश्वसनीय और न ही पूरी तरह से अविश्वसनीय।

12. सबूत की पहली श्रेणी में, अदालत को किसी भी तरह से अपने निष्कर्ष पर पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए-वह किसी एक गवाह की गवाही पर दोषी ठहरा सकती है या बरी कर सकती है, अगर यह निंदा या रुचि, अक्षमता या अधीनता के संदेह से ऊपर पाई जाती है।दूसरी श्रेणी में, न्यायालय को अपने निष्कर्ष पर पहुंचने में समान रूप से कोई कठिनाई नहीं है।यह मामलों की तीसरी श्रेणी में है कि अदालत को चौकस रहना पड़ता है और विश्वसनीय गवाही, प्रत्यक्ष या परिस्थितिजन्य द्वारा सामग्री विवरणों में पुष्टि की तलाश करनी होती है।गवाहों की बहुलता पर जोर देने में एक और खतरा है।एकल गवाह के मौखिक साक्ष्य की गुणवत्ता के बावजूद, यदि अदालतें किसी भी तथ्य के प्रमाण में गवाहों की बहुलता पर जोर देती हैं, तो वे अप्रत्यक्ष रूप से गवाहों के अधीनता को प्रोत्साहित करेंगे।ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं और उत्पन्न हो सकती हैं जहाँ किसी विवादित तथ्य के समर्थन में साक्ष्य देने के लिए केवल एक व्यक्ति उपलब्ध हो।स्वाभाविक रूप से न्यायालय को इस तरह की गवाही पर सावधानीपूर्वक विचार करना पड़ता है और यदि यह संतुष्ट होता है कि सबूत



यदि वह विश्वसनीय है और उन सभी कलंकों से मुक्त है जो मौखिक गवाही को संदेह के लिए खुला रखते हैं, तो ऐसी गवाही पर कार्रवाई करना उसका कर्तव्य बन जाता है।कानूनी रिपोर्टों में कई उदाहरण हैं जहां अदालत को अभियोजन पक्ष के समर्थन में एक गवाह की गवाही पर निर्भर रहना पड़ता था और उस पर कार्रवाई करनी पड़ती थी।इस नियम के अपवाद हैं, उदाहरण के लिए, यौन संबंध या एक सरकारी गवाह की गवाही के मामलों में; ये दोनों ऐसे मामले हैं जिनमें मौखिक गवाही, अपने स्वभाव से, संदिग्ध है, जो अपराध में भागीदार है।लेकिन, जहां ऐसे कोई असाधारण कारण काम नहीं कर रहे हैं, यह अदालत का कर्तव्य बन जाता है कि वह दोषी ठहराए, अगर यह संतुष्ट हो कि एक गवाह की गवाही पूरी तरह से विश्वसनीय है।इसलिए, हमारे पास पहले गवाह की गवाही पर कार्रवाई करने से इनकार करने का कोई कारण नहीं है, जो अभियोजन पक्ष के समर्थन में एकमात्र विश्वसनीय सबूत है।”

(जोर दिया गया)

पारस्परिक प्रमाण

**"**मन एक दूसरे के लिए परिस्थितियों को अनुकूलित करने में आनंद लेने के लिए उपयुक्त था**,** और यहां तक कि जरूरत पड़ने पर उन्हें थोड़ा तनाव देने में भी**,** उन्हें एक जुड़े हुए पूरे के हिस्से बनाने के लिए मजबूर करने के लिए**;** और व्यक्ति का मन जितना अधिक सरल था**,** उतनी ही अधिक संभावना थी कि इस तरह के मामलों पर विचार करते हुए**,** खुद को ओवररीच और गुमराह करने के लिए**,** कुछ छोटी सी कड़ी प्रदान करने के लिए जो वांछित है**,** अपने पिछले सिद्धांतों के अनुरूप कुछ तथ्य को हल्के में लेने के लिए और उन्हें पूरा करने के लिए आवश्यक है।**"**

बैरन एल्डरसन द्वारा रेग**.** वी**.** में जूरी को संबोधित चेतावनी।हॉज **[(1838) 2** लेविन **227]**

22. इस न्यायालय द्वारा परिस्थितिजन्य साक्ष्य को नियंत्रित करने वाले कानून को अक्सर दोहराया गया है।उपलब्ध साक्ष्य को जोड़ने का अभ्यास करते समय सावधानी और सावधानी बरतनी होगी। अदालतों को इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि इस तरह के साक्ष्य से निश्चित रूप से प्रत्येक मामले के तथ्यों पर केवल अभियुक्त को ही इंगित किया जाना चाहिए।हम परिस्थिति के आधार पर मामले के सबूत के पंचशील को प्रोफी के साथ उद्धृत करना चाहते हैं।

इस न्यायालय द्वारा शरद बर्डहिचंद सारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य, (1984) 4 एस. सी. सी. 116,1173 में निर्धारित साक्ष्य।

हार्विंदर सिंह @बाचू बनाम।

हिमाचल प्रदेश राज्य [एम. एम. सुंदरेश, जे.] 1174 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 13 एस. सी. आर.

"153. इस निर्णय के गहन विश्लेषण से पता चलेगा कि किसी अभियुक्त के खिलाफ मामले को पूरी तरह से स्थापित होने से पहले निम्नलिखित शर्तों को पूरा किया जाना चाहिएः

**(1)** जिन परिस्थितियों से अपराध का निष्कर्ष निकाला जाना है**,** उन्हें पूरी तरह से स्थापित किया जाना चाहिए।

यहाँ यह ध्यान दिया जा सकता है कि इस न्यायालय ने संकेत दिया कि संबंधित परिस्थितियाँ 'होनी चाहिए या होनी चाहिए' और 'नहीं' स्थापित की जा सकती हैं।जैसा कि इस न्यायालय ने शिवाजी साहबराव बोबडे बनाम महाराष्ट्र राज्य [(1973) 2 एस. सी. सी. 793 में कहा था, 'साबित किया जा सकता है' और 'साबित किया जाना चाहिए या साबित किया जाना चाहिए' के बीच केवल एक व्याकरणिक ही नहीं बल्कि एक कानूनी अंतर भी है।1973 एस. सी. सी. (सी. आर. आई) 1033:1973 सी. आर. आई. एल. जे. 1783] जहाँ निम्नलिखित टिप्पणियां की गईंः[एससीसी पैरा 19,पी. 807:एस. सी. सी. (सी. आर. आई) पी.1047]

निश्चित रूप से, यह एक प्राथमिक सिद्धांत है कि अभियुक्त को अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने से पहले दोषी होना चाहिए और न कि केवल दोषी होना चाहिए और 'हो सकता है' और 'होना चाहिए' के बीच की मानसिक दूरी लंबी है और कुछ निष्कर्षों से अस्पष्ट अनुमानों को विभाजित करती है।

**(2)** इस प्रकार स्थापित तथ्य केवल अभियुक्त के अपराध की परिकल्पना के अनुरूप होने चाहिए**,** अर्थात वे किसी अन्य परिकल्पना पर समझाने योग्य नहीं होने चाहिए सिवाय इसके कि अभियुक्त दोषी है।

**(3)** परिस्थितियाँ निर्णायक प्रकृति और प्रवृत्ति की होनी चाहिए**,**

**(4)** उन्हें साबित की जाने वाली परिकल्पना को छोड़कर हर संभावित परिकल्पना को बाहर करना चाहिए**,** और

**(5)** साक्ष्य की एक ऐसी श्रृंखला होनी चाहिए जो इतनी पूर्ण हो कि अभियुक्त की बेगुनाही के अनुरूप निष्कर्ष के लिए कोई उचित आधार न छोड़े और यह दिखाना चाहिए कि सभी मानवीय संभावनाओं में यह कार्य अभियुक्त द्वारा किया गया होगा।

**154.** यदि हम ऐसा कहें तो ये सुनहरे सिद्धांत परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर मामले के प्रमाण के लिए पंचशील का गठन करते हैं।**”**

(जोर दिया गया)

दोहरा प्रभाव

23. जब विचारण न्यायालय का दृष्टिकोण, जिसे गवाहों के आचरण को देखने का लाभ मिला था, एक संभावित और प्रशंसनीय दोनों है, तो इसे किसी अन्य द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया जाएगा। अभियुक्त के पक्ष में निर्दोष होने की धारणा निचली अदालत के फैसले से मजबूत होती है जब वह

बरी करने का आदेश मिलता है।जाफरुद्दीन और अन्य बनाम केरल राज्य, (2022) 8 एस. सी. सी. 440 में,

**“25.** धारा **378** सी**.** आर**.** पी**.** सी**.** का उपयोग करके बरी किए जाने के खिलाफ अपील पर विचार करते समय**,** अपीलीय अदालत को इस बात पर विचार करना होगा कि क्या निचली अदालत के दृष्टिकोण को संभावित माना जा सकता है**,** विशेष रूप से जब रिकॉर्ड पर साक्ष्य का विश्लेषण किया गया हो।इसका कारण यह है कि बरी करने का आदेश अभियुक्त के पक्ष में निर्दोष होने की धारणा को जोड़ता है।इस प्रकार**,** अपीलीय न्यायालय को निचली अदालत के बरी करने के आदेश को उलटने में अपेक्षाकृत धीमी गति से काम करना पड़ता है।इसलिए**,** अभियुक्त के पक्ष में धारणा कमजोर नहीं होती है**,** बल्कि केवल मजबूत होती है।अभियुक्त के पक्ष में ऐसी दोहरी धारणा को केवल स्वीकृत कानूनी मापदंडों पर पूरी तरह से जांच करके ही बाधित किया जाना चाहिए।

पूर्वाभास

**26.** मोहन बनाम कर्नाटक राज्य **(2022) 12** एस**.** सी**.** सी**. 619:2021** एस**.** सी**.** सी**.** ऑनलाइन एस**.** सी**. 1233]** इस प्रकार हैः**(**एस**.** सी**.** सी**.** पैरा **20-23)**

“20. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 378 राज्य को बरी करने के आदेश के खिलाफ अपील करने में सक्षम बनाती है।दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 384 उन शक्तियों की बात करती है जिनका उपयोग अपीलीय न्यायालय द्वारा किया जा सकता है।जब निचली अदालत आरोपी को बरी करके अपना फैसला देती है, तो निर्दोष होने का अनुमान अपीलीय अदालत के समक्ष ताकत इकट्ठा करता है। नतीजतन, अभियोजन पक्ष की जिम्मेदारी अधिक बोझिल हो जाती है क्योंकि निर्दोष होने की दोहरी धारणा होती है।निश्चित रूप से, पहला उदाहरण न्यायालय को अपना निर्णय देने में अपने फायदे हैं, जो गवाहों को गवाही देते समय व्यक्तिगत रूप से देखना है।अपीलीय न्यायालय से अपेक्षा की जाती है कि वह न केवल उसके समक्ष साक्ष्य की गहन, अध्ययन की गई जांच में खुद को शामिल करे, बल्कि खुद को संतुष्ट करने के लिए कर्तव्यबद्ध है कि क्या निचली अदालत का निर्णय संभव और प्रशंसनीय दोनों दृष्टिकोण है।जब दो 1175

हार्विंदर सिंह @बाचू बनाम।

हिमाचल प्रदेश राज्य [एम. एम. सुंदरेश, जे.] 1176

विचार संभव हैं, बरी होने के मामले में निचली अदालत द्वारा लिए गए विचार का गवाहों को देखने के लाभ के साथ स्वतंत्रता की कसौटी पर पालन किया जाना चाहिए।भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 भी एक निश्चित तरीके से बरी होने के बाद अभियुक्त की सहायता करता है, हालांकि पूर्ण नहीं। पर्याप्त रूप से यह कहना है कि अपीलीय न्यायालय खुद को बरी करने के मामले पर विचार करते समय आवश्यक भूमिका की याद दिलाएगा।

21. प्रत्येक मामले की सच्चाई की ओर अपनी यात्रा होती है और यह अदालत की भूमिका है।सत्य को उसके सामने उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर खोजना होगा।व्यक्तिपरकता के लिए कोई जगह नहीं है और न ही इसकी प्रकृति इसके प्रदर्शन को प्रभावित करती है।हमारे पास मामलों से निपटने के लिए अदालतों का एक पदानुक्रम है।एक अपीलीय अदालत मामले की संवेदनशीलता के आधार पर निचली अदालत से एक विशेष तरीके से कार्य करने की उम्मीद नहीं करेगी।बल्कि इसकी सराहना की जानी चाहिए यदि एक निचली अदालत अपनी संवेदनशीलता के बावजूद अपनी योग्यता के आधार पर किसी मामले का फैसला करती है।

22. कभी-कभी, अदालतों की अपनी सीमाएँ होती हैं।हम अलग-अलग न्यायालयों, अर्थात् एक ओर विचारण न्यायालय और दूसरी ओर अपीलीय न्यायालयों द्वारा किए जा रहे अलग-अलग निर्णयों को देखते हैं।यदि इस तरह के निर्णय संस्थागत बाधाओं के कारण लिए जाते हैं, तो वे शुभ संकेत नहीं हैं।जिला न्यायपालिका से मूलभूत अदालत होने की उम्मीद की जाती है, और इसलिए, उसे किसी मामले को अपनी योग्यता के आधार पर तय करने की मन की स्वतंत्रता होनी चाहिए अन्यथा यह एक रूढ़िवादी अदालत बन सकती है जो नैतिक मंच पर दोषसिद्धि प्रदान करती है।

उसके सामने रखी गई सभी सामग्रियों पर विचार करने पर दिए गए निर्णय पर आरोप और निंदा से बचा जाना चाहिए।अपीलीय न्यायालय से कोई भी टिप्पणी करने से पहले कुछ हद तक सावधानी बरतने की उम्मीद की जाती है।

23. इस न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 378 के तहत बरी किए जाने के खिलाफ अपील पर विचार करते हुए बार-बार एक अपीलीय अदालत द्वारा जांच के दायरे पर कानून निर्धारित किया है। हम अनवर अली बनाम एच. पी. राज्य [(2020) 10 एस. सी. सी. 166 में इस न्यायालय के हाल के फैसले पर भरोसा करने के अलावा उपरोक्त सिद्धांत को गुणा नहीं करना चाहते हैंः(2021) 1 एस. सी. सी. (सी. आर. आई) 395]:(एस. सी. सी. पीपी. 182-85, पैरा 14)



‘ 14.2.न्यायालय द्वारा अभिलिखित तथ्यों को कब विकृत माना जा सकता है और उपरोक्त निर्णय के पैरा 20 में इस पर विचार किया गया है, जो निम्नानुसार हैः( बाबू मामला [बाबू बनाम केरल राज्य, (2010) 9 एससीसी 189:(2010) 3 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 1179], एस. सी. सी. पी.199)

“20. न्यायालय द्वारा अभिलिखित तथ्य के निष्कर्षों को विकृत माना जा सकता है यदि निष्कर्ष प्रासंगिक सामग्री की अनदेखी या बहिष्कार करके या अप्रासंगिक/अस्वीकार्य सामग्री को ध्यान में रखते हुए प्राप्त किए गए हैं।निष्कर्ष को विकृत भी कहा जा सकता है यदि यह "साक्ष्य के भार के खिलाफ" है, या यदि निष्कर्ष इतना अपमानजनक रूप से तर्क की अवहेलना करता है कि तर्कहीनता के दुष्प्रभाव से पीड़ित है।(राजिंदर कुमार किन्द्रा बनाम दिल्ली प्रशासन। [(1984) 4 एससीसी 635:1985 एस. सी. सी. (एल. एंड एस.) 131],

आबकारी और कराधान अधिकारी-सह-निर्धारण प्राधिकरण बनाम गोपी

नाथ एंड संस [1992 सप्लीमेंट (2) एस. सी. सी. 312], त्रिवेणी रबर एंड प्लास्टिक बनाम सी. सी. ई. [1994 सप्लीमेंट (3) एस. सी. सी. 665], गया दिन बनाम हनुमान प्रसाद [(2001) 1 एस. सी. सी. 501], अरुलवेलु [अरुलवेलु बनाम राज्य, (2009) 10 एस. सी. सी. 206:(2010) 1 एस. सी. सी. (सी. आर. आई) 288] और

गामिनी बाला कोटेश्वर राव बनाम एपी राज्य [(2009) 10 एससीसी

636 :(2010) 1 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 372] "

यह आगे इस न्यायालय के निर्णय का पालन करने के बाद देखा जाता है।

कुलदिप सिंह बनाम कम्र में।पुलिस का [(1999) 2 एस. सी. सी. 10:1999

एस. सी. सी. (एल. एंड एस.) 429], कि यदि कोई निर्णय बिना किसी साक्ष्य या पूरी तरह से अविश्वसनीय साक्ष्य के आधार पर लिया जाता है और कोई भी उचित व्यक्ति उस पर कार्रवाई नहीं करेगा, तो आदेश विकृत होगा।लेकिन अगर रिकॉर्ड में कुछ सबूत हैं जो स्वीकार्य हैं और जिन पर भरोसा किया जा सकता है, तो निष्कर्षों को विकृत नहीं माना जाएगा और निष्कर्षों में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा।"

XXX

XXX

XXX

(जोर दिया गया)

भौतिक गवाहों की गैर-परीक्षा

24. अभियोजन पक्ष की ओर से किसी गवाह से पूछताछ नहीं करने में विफलता, हालांकि सामग्री, अपने आप में मुकदमे को दूषित नहीं करेगी।हालाँकि, जब तथ्य इतने स्पष्ट हैं और गवाह उपलब्ध हैं, विशेष रूप से 1177

हार्विंदर सिंह @बाचू बनाम।



जब वे एक अलग कहानी देने की संभावना रखते हैं, तो न्यायालय इस पर पर्याप्त ध्यान देगा।जब बचाव पक्ष द्वारा किसी परिस्थिति को न्यायालय के संज्ञान में लाया जाता है और न्यायालय को विश्वास हो जाता है कि अभियोजन पक्ष के गवाह को जानबूझकर रोक दिया गया है, क्योंकि यह सभी संभावनाओं में इसके संस्करण को नष्ट कर देगा, तो उसे प्रतिकूल नोटिस लेना होगा।इस तरह के दृष्टिकोण के विपरीत कुछ भी निष्पक्ष खेल की अवधारणा के अनुरूप होगा।तखाजी हीराजी बनाम ठाकुर में

कुबर्सिंग चमनसिंग**, (2001) 6** एस**.** सी**.** सी**. 145,**

**"19.** अभियोजन पक्ष के मामले में उच्च न्यायालय द्वारा की गई आलोचना के मामले में भी ऐसा ही है जिसमें जांच न करने के लिए गलती की गई है।

स्वतंत्र गवाह।यह सच है कि यदि कोई भौतिक गवाह**,** जो घटना की उत्पत्ति या अभियोजन पक्ष के मामले के एक आवश्यक हिस्से को उजागर करता है**,** अन्यथा आश्वस्त रूप से सामने नहीं लाया जाता है**,** या जहां अभियोजन पक्ष के मामले में कोई अंतर या असंवेदनशीलता है**,** जिसे किसी ऐसे गवाह की जांच करके प्रदान किया जा सकता था या ठीक किया जा सकता था**,** जिसकी जांच भले ही उपलब्ध न हो**,** लेकिन अभियोजन पक्ष के मामले को एक अवज्ञा से पर्याप्त माना जा सकता है और ऐसे भौतिक गवाह को रोके रखना अदालत को अभियोजन पक्ष

के खिलाफ एक प्रतिकूल निष्कर्ष निकालने के लिए बाध्य करेगा, यह कहते हुए कि यदि गवाह की जांच की गई होती तो यह अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं करता।दूसरी ओर यदि पहले से ही भारी साक्ष्य उपलब्ध है और अन्य गवाहों की जांच केवल पहले से प्रस्तुत साक्ष्य की पुनरावृत्ति या दोहराव होगी, तो ऐसे अन्य गवाहों से पूछताछ न करना सामग्री नहीं हो सकती है।ऐसे मामले में अदालत को प्रस्तुत किए गए साक्ष्य के मूल्य की जांच करनी चाहिए।तथ्यों की अदालत को खुद से पूछना चाहिए-क्या मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, ऐसे अन्य गवाहों से पूछताछ करना आवश्यक था, और यदि ऐसा है, तो क्या ऐसे गवाह जांच के लिए उपलब्ध थे और फिर भी अदालत से रोके जा रहे थे।यदि उत्तर सकारात्मक है तो केवल प्रतिकूल निष्कर्ष निकालने का सवाल ही उठ सकता है।यदि पहले से ही जांचे गए गवाह विश्वसनीय हैं और उनके मुंह से आने वाली गवाही निर्विवाद है, तो अदालत अन्य गवाहों से पूछताछ न करने के तथ्य के बिना सुरक्षित रूप से इस पर कार्रवाई कर सकती है।

(जोर दिया गया)

अवरोध का प्रभाव

25. बाद का आचरण साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 के तहत एक प्रासंगिक तथ्य होगा। हालांकि, इस तथ्य को साबित करना होगा।केवल फरार होना ही किसी व्यक्ति को दोषी ठहराने का एकमात्र कारण नहीं हो सकता है।ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि कोई आरोपी फरार हो सकता है क्योंकि उसे अवैध अपराध का डर हो सकता है।

गिरफ्तारी।दुर्गा बर्मन राय बनाम सिक्किम राज्य, (2014) 13 एस. सी. सी. 35 ", 13 में। "फरार होने" का अर्थ है, हिरासत से बचने या गिरफ्तारी से बचने के लिए गुप्त रूप से या अवैध रूप से और जल्दबाजी में चले जाना।यह सबूत में आया है

कि अभियुक्तों ने दूसरों को बताया था कि वे गंगटोक में अपने कार्यस्थल से न्यू जलपाईगुड़ी में अपने घर जा रहे थे।घटना के तीसरे दिन उन्हें न्यू जलपाईगुड़ी में ही उनके घरों से हिरासत में लिया गया था।इसलिए, यह मानना मुश्किल है कि आरोपी फरार था।यहां तक कि तर्क के लिए यह मानते हुए भी कि कथित घटना के बाद उन्हें उनके कार्यस्थल पर नहीं देखा गया था, यह नहीं माना जा सकता है कि उनके खिलाफ एक प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए जैसा कि इसके द्वारा माना गया है।

सुनील कुंडू बनाम झारखंड राज्य [(2013) 4 एस. सी. सी. 422:(2013) 2

एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 427]पैरा 28 को उद्धृत करने के लिएः(एस. सी. सी. पीपी. 433-34) "28. यह तर्क दिया गया कि आरोपी फरार थे और इसलिए, उनके खिलाफ प्रतिकूल निष्कर्ष निकालने की आवश्यकता है।यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि फरार होने से यह साबित नहीं होता है कि

एक व्यक्ति का अपराध।गलत निहितार्थ या गिरफ्तारी के डर से कोई व्यक्ति भाग सकता है।(एस. के. देखें। यूसुफ बनाम स्टेट ऑफ डब्ल्यू. बी. [(2011) 11 एस. सी. सी. 754:(2011) 3 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 620]) यह भी सच है कि

अभियुक्त द्वारा ली गई बहाना याचिका विफल हो गई है।उनके द्वारा जांचे गए बचाव पक्ष के गवाहों पर विश्वास नहीं किया गया है।यह आग्रह किया गया कि इससे प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए।हम इसे अस्वीकार करते हैं।

प्रस्तुत करना।जब अभियोजन पक्ष अपने मामले को उचित संदेह से परे साबित करने में सक्षम नहीं होता है, तो वह इस तथ्य का लाभ नहीं उठा सकता है कि आरोपी अपने बचाव को संभव नहीं बना पाए हैं।यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि अभियोजन पक्ष को अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए या गिरना चाहिए।यह अभियुक्त के मामले की कमजोरी से समर्थन प्राप्त नहीं कर सकता है, यदि उसने अपने मामले को उचित संदेह से परे साबित नहीं किया है।"

(जोर दिया गया)

हार्विंदर सिंह @बाचू बनाम।

1179

हिमाचल प्रदेश राज्य [एम. एम. सुंदरेश, जे.] 1180

चर्चा

26. पीडब्लू1 ने तब कार्रवाई नहीं की जब मृतक ने मदद के लिए गुहार लगाई, विशेष रूप से उससे। रिकॉर्ड पर बिल्कुल कोई सबूत उपलब्ध नहीं है कि मृतक को इस तथ्य के बारे में कैसे पता था कि पीडब्लू1 बाहर था।जो भी हो, यह अजीब बात है कि वह घर में घुसने का साहस भी नहीं करता था। इसके अलावा, वह आरोपी द्वारा धमकी दिए जाने के बाद चला गया।अजीब बात है कि उसने मृतक की सास से आगे पूछताछ करने की अनावश्यक कवायद शुरू की।अगर उसने आरोपी को पहाड़ी क्षेत्र की ओर जाते देखा होता, तो उसे मृतक के घर में घुसकर उसकी हालत की जांच करनी चाहिए थी।बल्कि, वह अपनी पत्नी (पीडब्लू2) का इंतजार कर रहा था।उद्देश्य के संबंध में उनका साक्ष्य भी पीडब्लू5 के अनुरूप नहीं है।पीडब्लू5 ने कहा है कि कोई पूर्व शत्रुता नहीं थी।हमारा विचार है कि उच्च न्यायालय ने प्रतिष्ठा की अवधारणा का गलत अर्थ निकाला है और पीडब्लू1 के साक्ष्य पर आंख मूंदकर विश्वास किया है।

27. तथ्य यह है कि पीडब्लू1 ने तुरंत मृतक के बच्चों को सलाह दी कि वे अपनी माँ को पुलिस में शिकायत दर्ज करने के लिए कहें और साथ ही इस तथ्य के साथ कि पीडब्लू11 ने यह बयान दिया कि पुलिस स्टेशन मजिस्ट्रेट के परिसर के पास था, प्रथम सूचना रिपोर्ट के मूल पर संदेह पैदा करता है।

28. निचली अदालत ने अपने निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पर्याप्त कारण बताए हैं।यह ध्यान रखना होगा कि अभियोजन पक्ष को ही उचित संदेह से परे आरोपों को साबित करना है।परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामले से निपटने में उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण अनुरूप नहीं है

आर. वी. में व्यक्त सावधानी के साथ।हॉज, (1838) 2 ल्यू 227।द हाई

अदालत ने यह अभिनिर्धारित करने के बाद कि एक हत्या हुई थी, पी. डब्ल्यू. 1 के साक्ष्य पर आंख मूंदकर भरोसा रखा।

29. फिंगरप्रिंट रिपोर्ट की अनुपलब्धता के अलावा, गवाहों से पूछताछ न करना, जैसा कि निचली अदालत ने उल्लेख किया है, अभियोजन पक्ष के मामले की जड़ तक जाएगा।यह किसी का मामला नहीं है कि गवाह उपलब्ध नहीं थे।यही कारण है कि बचाव पक्ष ने मृतक के बच्चों द्वारा दी गई दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के तहत दर्ज बयान प्रदर्शनी डी1 और डी2 को चिह्नित किया है।हमें इस तथ्य को ध्यान में रखना होगा कि जब पीडब्लू1 वापस आया तो बच्चे मृतक के घर में बहुत उपलब्ध थे।वे बच्चे नहीं थे बल्कि 5 वीं और 7 वीं कक्षा में पढ़ रहे थे।यह स्वीकार करना असंभव है कि उन्होंने नहीं किया



पता है कि उनकी माँ खून से लथपथ मरी हुई थी और वह भी आधी नंगी हालत में।

30. जब रत्नों की बरामदगी की बात आती है तो उच्च न्यायालय ने भी अपनी मंजूरी नहीं दी।लेकिन फिर भी यह जांच रिपोर्ट में अवलोकन के आधार पर घटना स्थल से की गई बरामदगी पर निर्भर रहा।अभियोजन पक्ष का ही मामला है कि भौतिक वस्तु-तलवार का उपयोग हत्या करने के लिए किया गया था और इसलिए अभियुक्त से संबंधित किसी भी निशान की उपलब्धता के अभाव में, कोई भी इस निष्कर्ष पर नहीं आ सकता है कि इसका उपयोग अकेले उनके द्वारा किया गया था।

31. उच्च न्यायालय को मृतक की हत्या से आश्वस्त किया गया था, जबकि निचली अदालत द्वारा दी गई कई बातों की अनदेखी की गई थी, जिसमें यह तथ्य भी शामिल था कि मृतक का घर कई अन्य घरों से घिरा हुआ था।इस प्रकार, की गई चर्चा के आधार पर, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए विवश हैं कि अपीलार्थी संदेह के लाभ का हकदार है क्योंकि अभियोजन पक्ष ने अपने मामले को उचित संदेह से परे साबित नहीं किया है।उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित आदेश को दरकिनार कर दिया जाता है और परिणामस्वरूप, निचली अदालत द्वारा पारित बरी करने का आदेश बहाल हो जाता है।अपीलों की अनुमति है।अपीलार्थी को निर्देश दिया जाता है कि यदि किसी अन्य मामले में आवश्यकता नहीं है तो उसे तुरंत रिहा कर दिया जाए।

द्वारा तैयार किए गए हेडनोटः

अपीलों की अनुमति दी गई।

निधि जैन